



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-21112020-223205  
CG-DL-W-21112020-223205

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 35] नई दिल्ली, नवम्बर 8—नवम्बर 14, 2020, शनिवार / कार्तिक 17—कार्तिक 23, 1942  
No. 35] NEW DELHI, NOVEMBER 8—NOVEMBER 14, 2020, SATURDAY/KARTIKA 17—KARTIKA 23, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 160.—राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के अनुच्छेद 309 के प्रयुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वयंसेवकों के मित्राय अधिक्रान्त करने हेतु, जिन्हें ऐम् अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का जोष किया गया है, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कमौली (वर्ग III और वर्ग IV पर) शर्ती नियम, 1965 को, जहाँ तक उसका संबंध तकनीकी पर्यवेक्षक (विद्युत) से है, नियमों को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कमौली, तकनीकी पर्यवेक्षक (विद्युत), समूह 'अ' (अराजपत्रित) शर्ती नियम, 2020 है।

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 162.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (वर्ग 'ग' के पद) भर्ती नियमावली, 1980 को, जहाँ तक उसका संबंध टेलीफोन ऑपरेटर के पद में है, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लक्ष्य किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन नेशनल वेक्टर बीन डिजिटल कंट्रोल प्रोग्राम में टेलीफोन ऑपरेटर पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नेशनल वेक्टर बीन डिजिटल कंट्रोल प्रोग्राम, टेलीफोन ऑपरेटर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उमका वर्गीकरण और उसमें संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों में उपायुक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ(4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उसमें संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकारों के लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उस पद के लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, उन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—उन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य गिनायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम (1)	पदों की संख्या (2)	वर्गीकरण (3)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4)	चयन अथवा अचयन पद (5)	शीघ्रे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा (6)
टेलीफोन ऑपरेटर	01* (2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित अननुमचिदीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900 - 63200 रुपये)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करने 40 वर्ष और अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करने पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए लिप्यायक तारीख वह अंतिम तारीख जो अगम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिझोरम, केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के जम्मू और शीमा जिले तथा चम्बा-जिले के पारसी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

शीघ्रे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	शीघ्रे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती शीघ्रे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक :- 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। 2. केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राइवेट आटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में और इलेक्ट्रॉनिक के हैंडलिंग में अनुभव के साथ साथ प्राइवेट ब्रांच	लागू नहीं होता	दो वर्ष	शीघ्रे भर्ती द्वारा। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अक्षयन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अर्थात् एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों के केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकती:-

एकमर्चेंज और प्राइवेट आटोमेटिक ब्रान्च एकमर्चेंज में हैंडलिंग का प्रशिक्षण कार्यक्रम।		(क) (i) जो मूल कादर या विभाग से नियमित आधार पर सदस्य परामर्श विंग हुए हैं; और (ख) (ii) जिसके पास स्तर (7) के अर्थात् सीधे भर्ती विंग जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है।
---	--	---

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिसमें प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने की विधि परिस्थितियों में संघ और सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होगा	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- i) संयुक्त निदेशक या उप-निदेशक, नेशनल वेक्टर बोर्ड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम - अध्यक्ष ii) दिल्ली या नई दिल्ली में अवस्थित स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या कोई अन्य स्वास्थ्य मंत्रालय के उप निदेशक - सदस्य iii) प्रशासनिक अधिकारी, नेशनल वेक्टर बोर्ड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम - सदस्य	लागू नहीं होगा

[फत. सं. 1-69/2019- (पशा.1)]

वेद्यनाथ प्रसाद, जनरल सेक्रेटरी

New Delhi, the 4th November, 2020

**G.S.R. 162.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Malaria Eradication Programme (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1980 in so far as they relate to the post of **Telephone Operator (Serial number 18)** except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Telephone Operator in the National Vector Borne Disease Control Programme, under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, National Vector Borne Disease Control Programme, **Telephone Operator (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2020.**
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.** — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.**— No person,—
  - (i) Who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or
  - (ii) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post (1)	Number of post (2)	Classification (3)	Level in pay matrix (4)	Whether selection post or non-selection posts (5)	Age-limit for direct recruits (6)
Telephone Operator	01*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level- 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200)	Not applicable	Between 18 to 27 years of age. Relaxable for Government servants upto forty years in case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and Period of educational qualifications prescribed if any for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Essential:</b> 1. 12 <sup>th</sup> Class pass from a recognised Board. 2. Training Course in handling in Private Branch Exchange and Private Automatic Branch Exchange along with experience as Telephone Operator and in handling of Electronic Private Automatic Branch Exchange from an Institute recognised by Centre or State Government.	Not applicable	Two years	By direct recruitment <b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under any other circumstances for duration of one year or more may be filled by deputation basis from officers of the Central Government. (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; and (b) (ii) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion grades from which promotion or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	<b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</b> (i) Joint Director or Deputy Director National Vector Borne Disease Control Programme Chairman; (ii) Deputy Director, Directorate General of Health Services or Any other Institution of the Directorate Located in Delhi or New Delhi Member; (iii) Administrative Officer, National Vector Borne Disease Control Programme - Member.	Not necessary

[F. No. 1-69/2019 Admn I]

BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 163.—राष्ट्रपति, मंत्रिध्वान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वी.पी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चैन्नई में स्टोर अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वी.पी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चैन्नई में स्टोर अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।